



राजस्थान सरकार




रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 5 / अजमेर/2003-2004

यह प्रमाणित किया जाता है कि सोसायटी फॉर इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डेवलपमेंट, पीसांगन जिला अजमेर

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक दस माह अप्रैल सन दो हजार तीन को अजमेर में किया गया।


श्री अशोक कुमार गोयल
रजिस्ट्रार संस्थाएं
रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 374969